संख्या–विविध-160/आठ–8–2025–22विविध/2025

प्रेषक,

पी0 गुरूप्रसाद
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **अध्यक्ष/नियंत्रक प्राधिकारी,**
   समस्त विनियमित क्षेत्र
   उत्तर प्रदेश।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण
   उत्तर प्रदेश।
3. **अध्यक्ष,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8 लखनऊः दिनांकः 27 नवम्बर, 2025

विषयः–उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13 एवं उत्तर प्रदेश (निर्माण विनियमन) निदेश, 1960 के निदेश 10 ख के अंतर्गत भू–उपयोग परिवर्तन का सुस्पष्ट प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13 एवं उत्तर प्रदेश (निर्माण विनियमन) निदेश, 1960 के निदेश 10 ख के अधीन महायोजना में भू–उपयोग परिवर्तन की व्यवस्था है। महायोजना में भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में अधिसूचना संख्या–2281/8–3–14–194 विविध/14, दिनांक 11.12.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 बनायी गयी है। प्रायः यह देखने में आया है कि शासनादेश एवं नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण अनुपालन न करते हुए भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में शासन स्तर पर विचार किये जाने हेतु आवश्यक अभिलेखों को बिना संलग्न किये ही प्रस्ताव प्रेषित कर दिये जाते हैं। फलस्वरूप अपूर्ण प्रस्तावों के कारण भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब होता है और उन प्रकरणों में शासन स्तर पर निस्तारण किये जाने में कठिनाई होती है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महायोजना में भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 एवं शासनादेश संख्या 1374/आठ–8–17–60एलयूसी/2017 दिनांक 29.12.2017 में विहित व्यवस्था का अनुपालन करते हुये निम्नांकित स्वच्छ/पठनीय एवं हस्ताक्षरित सूचना/अभिलेखों को संलग्न कर स्पष्ट संस्तुति संहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायः–

(1) भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में संदर्भगत भूमि के भू–स्वामी एक से अधिक है तो आवेदक द्वारा संबंधित सहखातेदारों से अनापत्ति/सहमति पत्र की प्रति उपलब्ध करायी जाए।

(2) केवल विक्रय–विलेख के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत न किया जाए बल्कि राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण पूर्ण होने की दशा में ही प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए।

(3) भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में यदि एक से अधिक गाटा/खसरा होने की स्थिति में प्रस्तावित सम्पूर्ण क्षेत्रफल व सभी गाटाओं का क्षेत्रफल में भिन्नता वाले प्रस्ताव न उपलब्ध कराया जाए। साथ ही संदर्भगत गाटाओं में से किस गाटे का वर्तमान महायोजना में क्या उपयोग है तथा उसका क्या प्रस्तावित भू–उपयोग होगा का गाटावार विवरण सहित पूर्ण सूचना अंकित कर ही प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए।

(4) शासन के पत्र संख्या–712/आठ–8–2019–28 एलयूसी/2019 दिनांक 03.01.2020 (चेक–लिस्ट प्रारूप) के क्रम में पूर्ण रूप से अंकित सूचना के साथ प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित चेक–लिस्ट ही उपलब्ध करायी जाए।

(5) नयी महायोजना प्रभावी होने के उपरान्त पुरानी/निष्प्रभावी महायोजना के आलोक में प्रस्ताव न उपलब्ध कराया जाए।

3– स्पष्ट किया जाता है कि यदि प्राधिकरण स्तर पर उपरोक्त इंगित कमियों के संदर्भ में बिना परीक्षण किये तथा शासनादेश एवं नियमावली के निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण अनुपालन किये अपूर्ण प्रस्ताव बिना आवश्यक अभिलेखों को संलग्न किये प्रेषित किये जाते है तो ऐसी स्थिति में प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(पी0 गुरूप्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष/मण्डलायुक्त, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र० लखनऊ को इस आशय के प्रेषित है कि उपरोक्त को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार राय)
विशेष सचिव।

संख्या–विविध-160/आठ–8–2025–22विविध/2025

प्रेषक,

पी0 गुरूप्रसाद
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **अध्यक्ष/नियंत्रक प्राधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र
उत्तर प्रदेश।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

3 **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8 लखनऊः दिनांकः 27 नवम्बर, 2025

विषयः–उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13 एवं उत्तर प्रदेश (निर्माण विनियमन) निदेश, 1960 के निदेश 10 ख के अंतर्गत भू–उपयोग परिवर्तन का सुस्पष्ट प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13 एवं उत्तर प्रदेश (निर्माण विनियमन) निदेश, 1960 के निदेश 10 ख के अधीन महायोजना में भू–उपयोग परिवर्तन की व्यवस्था है। महायोजना में भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में अधिसूचना संख्या–2281/8–3–14–194 विविध/14, दिनांक 11.12.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 बनायी गयी है। प्रायः यह देखने में आया है कि शासनादेश एवं नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण अनुपालन न करते हुए भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में शासन स्तर पर विचार किये जाने हेतु आवश्यक अभिलेखों को बिना संलग्न किये ही प्रस्ताव प्रेषित कर दिये जाते हैं। फलस्वरूप अपूर्ण प्रस्तावों के कारण भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब होता है और उन प्रकरणों में शासन स्तर पर निस्तारण किये जाने में कठिनाई होती है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महायोजना में भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 एवं शासनादेश संख्या 1374/आठ–8–17–60एलयूसी/2017 दिनांक 29.12.2017 में विहित व्यवस्था का अनुपालन करते हुये निम्नांकित स्वच्छ/पठनीय एवं हस्ताक्षरित सूचना/अभिलेखों को संलग्न कर स्पष्ट संस्तुति संहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायः–

(1) भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में संदर्भगत भूमि के भू–स्वामी एक से अधिक है तो आवेदक द्वारा संबंधित सहखातेदारों से अनापत्ति/सहमति पत्र की प्रति उपलब्ध करायी जाए।

(2) केवल विक्रय–विलेख के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत न किया जाए बल्कि राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण पूर्ण होने की दशा में ही प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए।

(3) भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में यदि एक से अधिक गाटा/खसरा होने की स्थिति में प्रस्तावित सम्पूर्ण क्षेत्रफल व सभी गाटाओं का क्षेत्रफल में भिन्नता वाले प्रस्ताव न उपलब्ध कराया जाए। साथ ही संदर्भगत गाटाओं में से किस गाटे का वर्तमान महायोजना में क्या उपयोग है तथा उसका क्या प्रस्तावित भू–उपयोग होगा का गाटावार विवरण सहित पूर्ण सूचना अंकित कर ही प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए।

(4) शासन के पत्र संख्या–712/आठ–8–2019–28 एलयूसी/2019 दिनांक 03.01.2020 (चेक–लिस्ट प्रारूप) के क्रम में पूर्ण रूप से अंकित सूचना के साथ प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित चेक–लिस्ट ही उपलब्ध करायी जाए।

(5) नयी महायोजना प्रभावी होने के उपरान्त पुरानी/निष्प्रभावी महायोजना के आलोक में प्रस्ताव न उपलब्ध कराया जाए।

3– स्पष्ट किया जाता है कि यदि प्राधिकरण स्तर पर उपरोक्त इंगित कमियों के संदर्भ में बिना परीक्षण किये तथा शासनादेश एवं नियमावली के निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण अनुपालन किये अपूर्ण प्रस्ताव बिना आवश्यक अभिलेखों को संलग्न किये प्रेषित किये जाते है तो ऐसी स्थिति में प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,
पी0 गुरूप्रसाद
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष/मण्डलायुक्त, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र० लखनऊ को इस आशय के प्रेषित है कि उपरोक्त को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
27.1.2025
(राजेश कुमार राय)
विशेष सचिव।

संख्या–1374/आठ–8–17–60एलयूसी/2017

प्रेषक,

मुकुल सिंहल
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8 लखनऊः दिनांकः 28 दिसम्बर, 2017

विषय :उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13 के अंतर्गत भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13 के अधीन महायोजना में भू–उपयोग परिवर्तन की व्यवस्था है। महायोजना में भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में अधिसूचना संख्या–2281/8–3–14–194विविध/14, दिनांक 11.12.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 बनायी गयी है। प्रायः यह देखने में आया है कि निर्धारित प्रकिया का अनुपालन नहीं किये जाने तथा भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में शासन स्तर पर विचार किये जाने हेतु आवश्यक अभिलेखों को संलग्नकर एवं निर्धारित प्रकिया का अनुसरण किये बिना प्रस्ताव प्रेषित कर दिये जाते हैं। फलस्वरूप अपूर्ण प्रस्तावों के कारण भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब होता है और उन प्रकरणों में शासन स्तर पर निस्तारण किये जाने में कठिनाई होती है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महायोजना में भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 में विहित व्यवस्था का अनुपालन करते हुये निम्नांकित स्वच्छ/पठनीय एवं हस्ताक्षरित सूचना/अभिलेखों को संलग्न कर स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायः–

(1) भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014

के प्रस्तर–5(1) में संलग्न निर्धारित प्रारूप (क से ड़ के अनुसार) पर भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र।

(2) भूस्वामित्व संबंधी प्रमाणित अभिलेख।

(3) प्राधिकरण की बोर्ड के निर्णय/संस्तुति की प्रति।

(4) भू–उपयोग हेतु प्रस्तावित भूमि का राजस्व मानचित्र; महायोजना का रंगीन मानचित्र, महायोजना में सुपर इम्पोज रंगीन मानचित्र, महायोजना के पार्ट मानचित्र पर ले–आउट प्लान का रंगीन मानचित्र।

(5) प्रदेश में व्यक्ति/संस्था के स्वामित्व में कुल भूमि का क्षेत्रफल।

(6) प्रस्तावित भू–उपयोग हेतु भूमि के निर्विवाद होने/लम्बित वाद की स्थिति।

(7) प्रस्तावित भू–उपयोग की भूमि के मध्य शासकीय/सार्वजनिक भूमियों की स्थिति, यदि कोई शासकीय भूमि नहीं हो तो इस आशय का प्रमाण पत्र।

(8) यदि शासकीय/सार्वजनिक भूमियां प्रस्तावित भू–उपयोग के मध्य स्थित हैं, तो उसके व्यवस्थापन की विधि।

(9) प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन से महायोजना पर प्रभाव की स्थिति।
(उक्त कार्यवाही उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13(3) के प्रस्ताव हेतु की जायेगी।)

(10) उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13(2) के अधीन कार्यवाही हेतु जब प्रस्ताव प्रेषित किया जाय तो जन सामान्य से प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव के निस्तारण हेतु गठित समिति की संस्तुति भी निर्धारित चार्ट पर समिति की संस्तुति तथा मन्तव्य के साथ प्रेषित की जाय।

3– स्पष्ट किया जाता है कि चेक लिस्ट में अंकित बिन्दुओं की स्पष्ट स्थिति के बिना यदि प्रस्ताव शासन में प्रेषित किये जाते हैं तो प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

भवदीय,

(मुकुल सिंहल)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1374 (1)/आठ–8–17–60एलयूसी/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

28.12.17

(मनोज कुमार मौर्य)
अनु सचिव।

M.LUC.GO

संख्या–712 /आठ–8–2019–28एल0यू0सी0/2019

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. समस्त नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी,
विनियमित क्षेत्र
उत्तर प्रदेश।

3. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8 लखनऊ : दिनांक: 07-01-2020 ~~सितम्बर, 2019~~

विषयः– उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13 के अंतर्गत भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–13 के अधीन महायोजना में भू–उपयोग परिवर्तन की व्यवस्था है। महायोजना में भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में अधिसूचना संख्या–2281/8–3714–194विविध/14, दिनांक 11.12.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली–2014 प्रख्यापित की गयी। भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में शासन स्तर पर विचार किये जाने हेतु आवश्यक अभिलेखों तथा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–1374/आठ–8–17–60एल0यू0सी0/17, दिनांक 29.12.2017 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महायोजना में भू–उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली–2014 एवं शासनादेश संख्या–1374/आठ–8–17–60एल0यू0सी0/17, दिनांक 29.12.2017 में विहित व्यवस्था का अनुपालन करते हुये स्वच्छ/पठनीय एवं हस्ताक्षरित सूचना/अभिलेख शासन को उपलब्ध कराते हुए निम्नांकित प्रारूप पर सूचना भी प्रस्ताव के साथ संलग्न कर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें :–

चेक–लिस्ट का प्रारूप

क्र.सं.	विवरण	निस्तारित/हाँ	अनिस्तारित/नहीं
1	निर्धारित प्रारूप पर प्राधिकरण में आवेदन पत्र प्राप्त/अप्राप्त		
(क) भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण			
1	स्वामित्व/विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति प्राप्त/अप्राप्त		
2	प्लाट/खसरा/गाटा संख्या, ग्राम, तहसील व जिला का नाम		
3	सम्बन्धित भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		

-2-

MS-LUC GO

4	नगर के प्रभावी महायोजना में सम्बन्धित भूमि का विद्यमान भू–उपयोग		
5	प्रस्तावित भू–उपयोग हेतु भूमि निर्विवाद होने/लंम्बित वाद होने की स्थिति।		
6	प्रस्तावित भू–उपयोग की भूमि के मध्य शासकीय/सार्वजनिक भूमि है अथवा नहीं, की स्थिति।		
7	यदि प्रस्तावित भू–उपयोग भूमि के मध्य कोई शासकीय/सार्वजनिक भूमि स्थित है जो उसके व्यवस्थापन किये जाने की प्रस्तावित विधि।		
8	भूमि पर विद्यमान निर्माण, यदि कोई हो, की स्थिति		
9	महायोजना में सम्बन्धित भूमि का प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन		
10	प्रेषित किये गये प्रस्ताव. में महायोजना के मानचित्र में स्थल की स्थिति प्रदर्शित है अथवा नहीं।		
11	प्रेषित किये गये प्रस्ताव में सम्बन्धित ग्राम में सजरा प्लान पर स्थल की स्थिति प्रदर्शित है अथवा नहीं।		
12	महायोजना मे प्रस्तावित हरित पटिटका/पार्क/खुले स्थल का भू–उपयोग अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन करनें की स्थिति में उतनी ही अतिरिक्त भूमि महायोजना में आरक्षित करने का प्रस्ताव दिया गया है अथवा नहीं।		
13	हरित पटिटका का भू–उपयोग परिवर्तन प्रस्तावित होने की दशा में वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त हो गयी है अथवा नहीं।		
14	वैकल्पिक भूमि दिये जाने की दशा में ऐसे भूमि का विवरण व क्षेत्रफल।		
(ख) विकास प्राधिकरण स्तर पर की गयी कार्यवाही का विवरण			
1	प्रस्ताव का बोर्ड से अनुमोदन की तिथि		
2	बोर्ड से अनुमोदनोपरान्त राज्य सरकार की सहमति हेतु प्रस्ताव के प्रेषंण की तिथि		
3	भू–उपयोग परिवर्तन से महायोजना में कोई प्रतिकूल प्रभाव पडेगा अथवा नहीं।		
4	आस–पास की गतिविधियों, यातायात पर प्रभाव, प्रदूषण उत्पादन, बाढ क्षेत्र आदि के सम्बन्ध में भू–उपयोग परिवर्तन की अनुकूलता।		
5	क्या सम्बन्धित भू–उपयोग माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के निर्णय से आच्छादित तो नहीं है।		

-3-

6	क्या सम्बन्धित भू–उपयोग ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र अथवा एन.सी.आर. सब–रीजनल प्लान से आच्छादित तो नहीं है		
7	प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन से शासन की नीति यथा–औद्योगिक, पर्यटन आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा अथवा नही।		
8	प्रस्ताव के राज्य सरकार की सहमति के उपरान्त आपत्ति/सुझाव का आमंत्रण की तिथि		
9	प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर सरकार द्वारा गठित समिति की आख्या एवं संस्तुति का बोर्ड बैठक में अनुमोदन की तिथि		
10	आपत्ति/सुझाव के निस्तारण सम्बन्धी समस्त अभिलेख प्रस्तुत किये गये अथवा नहीं।		
11	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय से 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया अथवा नही।		
12	राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा किये जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा आवेदक को मांग–पत्र निर्गत करना एवं आवेदक द्वारा समयान्तर्गत भुगतान किया गया अथवा नहीं।		
13	तत्पश्चात संशोधन का पूर्ण विवरण राज्य सरकार को अन्तिम अधिसूचना हेतु प्रेषित किया जाना।		

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–712 (1)/आठ–8–2019–28एलयूसी/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय के प्रेषित है कि उपरोक्त को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार मौर्य)
अनु सचिव।

MS-LUC GO